सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.09.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना चोपन पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई-**
- **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े 03 तस्कर गिरफ्तार-**
- **01 क्विंटल 340 ग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत लगभग ₹50 लाख-**
- **ब्रेजा वाहन, 03 मोबाइल फोन एवं ₹1,210 नकद बरामद, वाहन सहित अनुमानित कीमत लगभग ₹12 लाख-**
- **कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹62 लाख-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्रा** के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी से जुड़े **03 अभियुक्तों को गिरफ्तार** करते हुए उनके कब्जे से **01 क्विंटल 340 ग्राम अवैध गांजा**, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग **₹50 लाख**, तस्करी में प्रयुक्त मारुति सुजुकी ब्रेजा वाहन संख्या CG14MV 9648, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग **₹12 लाख**, 03 मोबाइल फोन एवं ₹1,210 नकद बरामद किए गए। कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग **₹62 लाख** है।

घटना का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2026 को थाना चोपन पुलिस द्वारा **प्रीतनगर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग** की जा रही थी। इसी दौरान एसओजी टीम द्वारा सूचना दी गई कि हाथीनाला टोल प्लाजा के पास से एक संदिग्ध ब्रेजा वाहन डाला/रॉबर्ट्सगंज की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बग्घानाला पुल के पास एवं डाला क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान संदिग्ध ब्रेजा वाहन के ओबरा जाने वाले पुल की सर्विस लेन पर आने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर समय **करीब 16:25 बजे** उक्त वाहन को रोक लिया गया। वाहन में चालक सहित बैठे तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

वाहन की तलाशी के दौरान आगे एवं पिछली सीट के बीच खाली स्थान तथा डिग्गी में रखे **04 बोरों से कुल 93 पैकेट बरामद** हुए। जिसमें कुल **01 क्विंटल 340 ग्राम अवैध गांजा** पाया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चोपन पर **मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में प्रकाश में आया कि ओडिशा से गांजा मंगवाकर अम्बिकापुर में वाहन में लोड कराया गया था जिसे सोनभद्र के रास्ते एक व्यक्ति निवासी नवढ़िया, थाना संतनगर, जनपद मीरजापुर को देने के लिए जा रहे थे। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति द्वारा गांजा खरीदने के लिए अभियुक्तों से संपर्क किया गया था तथा फोन-पे के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में धनराशि भेजी गई थी। तस्करी में शामिल व्यक्तियों के मध्य मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन माध्यम से संपर्क एवं धनराशि का लेन-देन किया जाना प्रकाश में आया है।

पूछताछ में प्रकाश में आए अन्य व्यक्तियों की भूमिका तथा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मुकुन्द यादव पुत्र सकेलन यादव, निवासी ग्राम सिहार धार, थाना लैलूंगा, जनपद रायगढ़, छत्तीसगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. रोहित सिदार पुत्र घनश्याम सिदार, निवासी ग्राम सिहार धार, थाना लैलूंगा, जनपद रायगढ़, छत्तीसगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।
3. आशीष मौर्या पुत्र लालता प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम महुगढ़, थाना हलिया, जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

- 01 क्विंटल 340 ग्राम अवैध गांजा – अनुमानित कीमत लगभग ₹50 लाख।
- मारुति सुजुकी ब्रेजा वाहन संख्या CG14MV 9648 – अनुमानित कीमत लगभग ₹12 लाख।
- 03 मोबाइल फोन।
- ₹1,210 नकद।
- कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹62 लाख।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना चोपन पुलिस टीम—

1. प्र0नि0 श्री गोपाल जी गुप्ता, , थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
2. व0उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 घनश्याम तिवारी, चौकी प्रभारी डाला,थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 विरेन्द्र कुमार सरोज, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 अजय कुमार यादव, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
7. का0 मन्टु सिंह, का0 घनश्याम यादव, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

एसओजी टीम-

1. श्री रामस्वरूप वर्मा, प्रभारी निरीक्षक, एसओजी।
2. हे0का0 मनीष सिंह, एसओजी।
3. का0 अजीत यादव, एसओजी।
4. का0 अजीत कुमार, का0 रितेश पटेल, एसओजी।